विदेशी मुद्रा गतिविधियां

1. रिपब्लिक ऑफ चाड की सरकार को एक्जिम बैंक की 40.32 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने रिपब्लिक ऑफ चाड की सरकार को चाड में चार परियोजनाओं अर्थात (i) कंपोस्ट उत्पादन इकाई (7.20 मिलियन अमरीकी डॉलर), (ii) ग्रामीण विद्युतीकरण (सोलर एनर्जी) (15 मिलियन अमरीकी डॉलर), (iii) पशुओं के लिए चारा उत्पादन इकाई (2.22 मिलियन अमरीकी डॉलर) और (iv) कताई मिल का विस्तार (बुनाई और प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए) (15.90 मिलियन अमरीकी डॉलर) के वित्तपोषण के लिए भारत से निर्यात की जाने वाली परामर्शदात्री सेवाओं सहित पात्र वस्तुओं, सेवाओं, मशीनरी और उपकरणों के वित्तपोषण के लिए 40.32 (चालीस मिलियन तीन सौ और बीस हजार अमरीकी डॉलर) मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 19 जनवरी 2012 को चाड की सरकार के साथ एक करार किया है। इस करार के तहत भारत से निर्यात की जाने वाली सेवाओं में, परामर्शदात्री सेवाओं सहित वे वस्तुयें, सेवाएं, मशीनरी तथा उपकरण शामिल हैं जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्जिम बैंक द्वारा वित्तपोषण किया जाना अनुमत है । इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से संविदागत वस्तुओं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं के कम से कम 75 प्रतिशत मूल्य की आपूर्ति भारत के विक्रेताओं द्वारा की जाएगी और शेष 25 प्रतिशत मूल्य की वस्तुयें और सेवाएं (परामर्शदात्री सेवाओं को छोड़कर) सुयोग्य संविदा हेतु भारत से बाहर के विक्रेताओं से प्राप्त की जा सकती हैं।

ऋण सहायता के अंतर्गत यह ऋण करार 26 जुलाई 2012 को लागू हो गया है और इस करार के निष्पादन की 19 जनवरी 2012 है।इस ऋण सहायता के तहत, परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाएं)पूर्ण होने की निर्धारित तारीख (तारीखों) से 48 माह और आपूर्ति संविदा के मामले में करार निष्पादन की तारीख से 72 माह (18 जनवरी 2018) होगी।

इस ऋण सहायता के अंतर्गत पोत लदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फॉर्मों में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, जारी अनुदेशों के अनुसार करनी होगी। उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है । तथापि, यदि आवश्यक हो तो, निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के रूप में कर सकते हैं । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही/वसूली होने पर इस प्रकार के धनप्रेषण की अनुमति दे सकता है बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाए ।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज)परिपत्र सं. 14,
13 अगस्त 2012]

2. समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश - समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश संबंधी फॉर्म को युक्तिसंगत बनाना

यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक भारतीय पार्टी द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश संबंधी लेनदेन करते समय, उक्त अधिसूचना के विनियम 6(2)(vi) के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के फार्म के भाग I के खंड "ई" और "एफ" में निम्नलिखित मदें जोड़ी जाएं:

i. खंड 'ई' में, मद (सी) के बाद, मद "(डी) जहाँ कहीं लागू है, समय समय पर यथा संशोधित, 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं.फेमा.120/आरबी-2004 के विनियम 15 (iii) के अनुसार यथा अपेक्षित, भारतीय पार्टी के सभी मौजूदा संयुक्त उद्यमों (JV)/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (WOS) के संबंध में वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (APR) प्रस्तुत की गयी है।"

ii. खंड 'एफ' में, मद (v) के बाद, एक खंड "इसके अलावा, यह प्रमाणित किया जाता है कि, जहाँ कहीं लागू है, भारतीय पार्टी के सभी मौजूदा संयुक्त उद्यमों (JV)/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (WOS) के संबंध में उक्त अधिसूचना के विनियम 15 (iii) के अनुसार यथा अपेक्षित वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (APR) प्रस्तुत की गयी है।"

समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के फार्म के भाग I के संशोधित खंड 'ई' और 'एफ' इस परिपत्र के अनुबंध में दिए गए हैं ।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.15,
21 अगस्त 2012]

3. पाकिस्तानी नागरिक/पाकिस्तान में निगमित कंपनी द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

अब यह निर्णय लिया गया है कि अधिसूचना सं. फेमा 20 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो पाकिस्तान का नागरिक है या पाकिस्तान में निगमित कंपनी भारत सरकार के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद उक्त अधिसूचना की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन कर सकता है/सकती है, बशर्ते यह कि उक्त अधिसूचना की अनुसूची में (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्राप्तकर्ता भारतीय कंपनी रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा से संबंधित क्षेत्रों/गतिविधियों तथा विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों/गतिविधियों में संलग्न न हो अथवा संलग्न नहीं होगी ।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.16,
22 अगस्त 2012]

4. धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने संबंधी मानक - मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां

कृपया 17 अप्रैल 2012 का हमारा ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.107 देखें, जो कतिपय क्षेत्राधिकारों के एएमएल/सीएफटी व्यवस्था में कमियों के कारण उत्पन्न जोखिमों के संबंध में था। वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने इस विषय पर 22 जून 2012 को एक और विवरण जारी किया है।

प्राधिकृत व्यक्तियों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न विवरण में निहित जानकारी पर विचार करें। तथापि, इससे प्राधिकृत व्यक्तियों को इन देशों और क्षेत्राधिकारों के साथ वैध लेनदेन करने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए ।

ये दिशानिर्देश प्राधिकृत व्यक्तियों के सभी एजेंटों/फ्रेंचाइजीज़ पर भी यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे तथा यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व फ्रेंचाइजर्स का ही होगा कि उनके एजेंट/फ्रेंचाइजीज़ भी इन दिशानिर्देशों का पालन करते हैं ।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 17,
23 अगस्त 2012]

5. धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद् के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने संबंधी मानक - मुद्रा अंतरण सेवा योजना के तहत सीमापार (क्रास बॉर्डर) से आवक धनप्रेषण

कृपया 17 अप्रैल 2012 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.108 देखें, जो कतिपय क्षेत्राधिकारों के एएमएल/सीएफटी व्यवस्था में कमियों के कारण उत्पन्न जोखिमों के संबंध में था । वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने इस विषय पर 22 जून 2012 को एक और विवरण जारी किया है।

प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न विवरण में निहित जानकारी पर विचार करें । तथापि, इससे प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को इन देशों और क्षेत्राधिकारों के साथ वैध लेनदेन करने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए ।

ये दिशानिर्देश मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत भारतीय एजेंटों के सभी उप-एजेंटों को भी यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे तथा यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) का ही होगा कि उनके उप-एजेंट भी इन दिशानिर्देशों का पालन करते हैं ।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 18,
23 अगस्त 2012]

6. भारतीय निक्षेपागार रसीदें (IDRs) जारी करना - सीमित दुतरफा प्रतिमोच्यता (Limited two way fungibilty)

अब यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय निक्षेपागार रसीदों (IDRs) के लिए सीमित दुतरफा प्रतिमोच्यता (एडीआर/जीडीआर के लिए उपलब्ध सीमित दुतरफा प्रतिमोच्यता के समान) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत दी जाए:

i. भारतीय निक्षेपागार रसीदों का अंतर्निहित ईक्विटी शेयरों में परिवर्तन 22 जुलाई 2009 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 5 के पैरा 6 और 7 में दी गयी शर्तों से विनियमित होगा।

ii. 22 जुलाई 2009 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 5 के उपबंधों के अनुसार नई भारतीय निक्षेपागार रसीदें जारी करना जारी रहेगा ।

iii. भारतीय निक्षेपागार रसीदें फिर से केवल उस सीमा तक जारी की जा सकेंगी जहाँ तक वे मोचित हुई हैं/अंतर्निहित शेयरों में परिवर्तित हुई हैं और बेची गयी हैं ।

iv. पात्र विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय बाज़ारों में भारतीय निक्षेपागार रसीदें जारी करके पूँजी जुटाने के लिए 5 बिलियन अमरीकी डालर की समग्र उच्चतम सीमा होगी। यह उच्चतम सीमा कर्ज प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश करने के संबंध में लगायी गयी उच्चतम सीमा के समान होगी और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी।

तदनुसार, 22 जुलाई 2009 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.5 का पैरा 5 उपर्युक्तानुसार संशोधित हो गया है।

भारतीय निक्षेपागार रसीदों का जारी होना, मोचन और प्रतिमोच्यता, समय समय पर यथा संशोधित, सेबी (पूँजी जारी करना और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2009 के साथ-साथ इस सबंध में सरकार, सेबी और भारतीय रिज़र्व बैंक दवारा, समय समय पर, जारी अन्य संबंधित दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

[आरबीआई/2012-13/178 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 19, 28 अगस्त 2012]

7. दो निवासी कंपनियों के बीच हुए समझौते के तहत गैर-निधि आधारित सुविधाओं के लिए अनिवासी गारंटी

भारत में निवासी दो व्यक्तियों के बीच भारतीय रूपए में उधार लेने और उधार देने के कार्य विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के उपबंधों को आकृष्ट नहीं करते हैं। ऐसे मामले, जहां रूपए में ऋण भारत से बाहर के किसी निवासी व्यक्ति की गारंटी पर दिए जाते हैं, वहां विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन तब तक शामिल नहीं होता है जब तक कि गारंटी का आह्वान नहीं किया जाता है और अनिवासी गारंटीदाता से गारंटी की राशि अदा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। रिज़र्व बैंक ने 26 सितंबर 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 29/2000-आरबी के मार्फत भारत में निवासी व्यक्ति, जो कर्ज लेने वाला प्रधान व्यक्ति है (debtor), को गारंटी के अंतर्गत दायित्व वहन करने वाले भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को भुगतान करने के लिए आम अनुमति दी है ।

समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि, आम अनुमति के तहत, अनिवासी गारंटी सुविधा जो भारत में निवासी दो व्यक्तियों के बीच हुए समझौते के लिए उपलब्ध है को गैर-निधि आधारित सुविधाओं (साखपत्र/गारंटी/वचन-पत्र/चुकौती आश्वासन पत्र) के लिए बढ़ा दिया जाए। गारंटी के अंतर्गत अनिवासी गारंटीदाता द्वारा दायित्व की अदायगी और उसके बाद प्रधान कर्ज लेने वाले द्वारा दायित्व की अदायगी के तरीके अब तक की भाँति 30 मार्च 2001 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 28 में दिए गए निर्देशानुसार जारी रहेंगे।

यह भी निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार जारी और आह्वान की गयी गारंटियों के आँकड़े एकत्र करने के लिए एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट प्रारंभ किया जाए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्रत्येक तिमाही के लिए इस बाबत अपनी सभी शाखाओं के आँकड़ों को संलग्न अनुबंध में दिए गए फॉर्मेट में समेकित करके मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्यिक प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 11वीं मंज़िल, फोर्ट मुंबई 400001 को इस प्रकार भेजें कि वे अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक (एमएस एक्सेल फाइल में ई मेल से भी भेजें) विभाग को प्राप्त हो जाएं ।

इस संबंध में प्राप्त अनुभव के आधार पर उचित समय पर नीति की समीक्षा की जाएगी । इस नीति में किए गए संशोधन इस परिपत्र की तारीख से लागू होंगे।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 20, 29 अगस्त 2012]

8. अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों द्वारा विदेशी निवेश-हेजिंग सुविधाएं

अब यह निर्णय लिया गया है कि अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों को उन्हें अनुमत निवेशों (ईक्विटी और कर्ज लिखतों) के संबंध में मुद्रा जोखिमों को हेज करने की अनुमति अनुबंध में दिए गए ब्योरे के अनुसार दी जाए।

3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.25/आरबी-2000 [विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) विनियमावली, 2000] में आवश्यक संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.21, 31 अगस्त 2012]

9. सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की सरकार को एक्जिम बैंक की 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की सरकार को सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में खनन परियोजनाओं के विकास के लिए भारत से निर्यात की जाने वाली परामर्शदात्री सेवाओं सहित पात्र वस्तुओं, सेवाओं, मशीनरी और उपकरणों के वित्तपोषण के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर (बीस मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 19 मार्च 2012 को सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की सरकार के साथ एक करार किया है। इस करार के तहत भारत से निर्यात की जाने वाली सेवाओं में, परामर्शदात्री सेवाओं सहित वे वस्तुयें, सेवाएं, मशीनरी

तथा उपकरण शामिल हैं जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा वित्तपोषण किया जाना अनुमत है। इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से संविदागत वस्तुओं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं के कम से कम 75 प्रतिशत मूल्य की आपूर्ति भारत के विक्रेताओं द्वारा की जाएगी और शेष 25 प्रतिशत मूल्य की वस्तुयें और सेवाएं (परामर्शदात्री सेवाओं को छोड़कर) सुयोग्य संविदा हेतु भारत से बाहर के विक्रेताओं से प्राप्त की जा सकती हैं।

ऋण सहायता के अंतर्गत यह ऋण करार 22 अगस्त 2012 को लागू हो गया है और इस करार के निष्पादन की तारीख 19 मार्च 2012 है। इस ऋण सहायता के तहत, परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाएं) पूर्ण होने की निर्धारित तारीख (तारीखों) से 48 माह और आपूर्ति संविदा के मामले में करार निष्पादन की तारीख से 72 माह (18 मार्च 2018) होगी ।

इस ऋण सहायता के अंतर्गत पोत लदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फॉर्मों में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, जारी अनुदेशों के अनुसार करनी होगी।

उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो तो, निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के रूप में कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही/वसूली होने पर इस प्रकार के धनप्रेषण की अनुमति दे सकता है बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाए ।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज)परिपत्र सं. 22,
31 अगस्त 2012]

10. सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 39.69 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की सरकार को सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में दो जल विद्युत (हाइड्रो-इलेक्ट्रिक) परियोजनाओं के विकास के लिए भारत से निर्यात की जाने वाली परामर्शदात्री सेवाओं सहित पात्र वस्तुओं, सेवाओं, मशीनरी और उपकरणों के वित्तपोषण के लिए 39.69 मिलियन अमरीकी डॉलर (उनतालीस मिलियन छह सौ और नब्बे हजार अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 19 मार्च 2012 को सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की सरकार के साथ एक करार किया है। इस करार के तहत भारत से निर्यात की जाने वाली सेवाओं में, परामर्शदात्री सेवाओं सहित वे वस्तुयें, सेवाएं, मशीनरी तथा उपकरण शामिल हैं जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा वित्तपोषण किया जाना अनुमत है। इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से संविदागत वस्तुओं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं के कम से कम 75 प्रतिशत मूल्य की आपूर्ति भारत के विक्रेताओं द्वारा की जाएगी और शेष 25 प्रतिशत मूल्य की वस्तुयें और सेवाएं (परामर्शदात्री सेवाओं को छोड़कर) सुयोग्य संविदा हेतु भारत से बाहर के विक्रेताओं से प्राप्त की जा सकती हैं।

ऋण सहायता के अंतर्गत यह ऋण करार 22 अगस्त 2012 को लागू हो गया है और इस करार के निष्पादन की तारीख 19 मार्च 2012 है। इस ऋण सहायता के तहत, परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाएं) पूर्ण होने की निर्धारित तारीख (तारीखों) से 48 माह और आपूर्ति संविदा के मामले में करार निष्पादन की तारीख से 72 माह (18 मार्च 2018) होगी ।

इस ऋण सहायता के अंतर्गत पोत लदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फॉर्मों में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, जारी अनुदेशों के अनुसार करनी होगी।

उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो तो, निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के रूप में कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही/वसूली होने पर इस प्रकार के धनप्रेषण की अनुमति दे सकता है बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाए ।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज)परिपत्र सं. 23,
31 अगस्त 2012]